



14, सितंबर, 2018

हिंदी दिवस पर संदेश

हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। लेकिन यह उतना आसानी से नहीं आया जितना लगता है। कई दिग्गजों ने हिंदी के पक्ष में पूरे देश में पैरवी की, आखिरकार हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का प्रयास सफल हुआ। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा अनुमोदित किया गया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। कुल मिलाकर, भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से दो का आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है- हिंदी और अंग्रेजी।

इस अवसर पर मैं ये अम्मीद करता हूँ की सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी पखवाड़ा (15 सितंबर से 30 सितंबर, 2018) के दरमियाँ ज्यादा हिन्दी में काम करें।

एस आर सरकार
14.09.2018
डॉ एस आर सरकार(आई/सी)
कुल सचिव, नाईपर-कोलकाता